

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 360]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 अप्रैल 2025 — वैशाख 1, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-5/2025/11/6. — चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के औद्योगिक विकास को अधिक गति देने के लिए, आबंटन के प्रावधानों को स्पष्ट करना लोकहित में आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-21/2016/11/(6) दिनांक 15-03-2015 द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015” में, इन नियमों के नियम 3.15 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नानुसार अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, परिशिष्ट-6 की कड़िका (स) (i) में शब्द समूह “अधिकारिता के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु भू-आबंटन” के स्थान पर “स्वामित्व/आधिपत्य की औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ, लैंड बैंक (औद्योगिक प्रयोजन) एवं अन्य भूमि में औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु आबंटन” प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.